(c) the number of applications rejected during each of the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Poor conditions of roads in Chandigarh

3315. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : *Will the Minister of* URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government are aware that roads in many sectors of Chandigarh are lying in a state of utter disrepair and some of the streets are poorly lit ; and

(b) if so, what steps are being taken to improve the condition of all the roads in Chandigarh and to provide basic amenities to the residents of slums and labour colonies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) No such information has come to the notice of the Government.

(b) Schemes for improvement of roads in cities and providing basic amenities to slum and labour colonies come under the State sector and necessary schemes for this purpose are implemented by the respective States/Union Territories.

भूमि सुधारों को गति प्रदान करने के लिए सात सूत्री योजना

1316. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि सुधार में गति लाने के लिए सरकार द्वारा सात सूत्री कार्य योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) इन उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्राप्त हुए परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भूमि पर ग्रामीण गरीबों की पहुंच में सुधार लाने के विचार से, भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है । कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मद निम्नलिखित हैं :

(1) भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को, उनके कब्जा वाले आवास-स्थलों के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार देना ;

(2) अधिकतम सीमा कानूनों से बचने के लिए किए गए भूमि के फर्जी लेनदेन का पता लगाना ;

(3) अनौपचारिक काश्तकारों/बटाईदारों को रिकार्ड में लाना ;

(4) भूमि के अनुसूचित जाति/जन जाति के आबंटियों के संबंध में भूमि पर कब्जे का सत्यापन करना;

(5) भविष्य में भूमि के आबंटन में महिलाओं का आरक्षण;

(6) इस समय मुकदमेबाजी में फंसी अधिकतम सीमा से फालतु भूमि का उचित उपाय करके वितरण करना ।

भूमि राज्य का विषय है, इसलिए कार्यक्रम को राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा ।